किसानों को 6 प्रतिशत ब्याज पर कृषि ऋण

1 अक्टूबर 2004 से सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को दिए जाने वाले कृषि ऋण की ब्याज दर 14 प्रतिशत थी, जिसे घटाकर 9 प्रतिशत किया गया है।

2 केंन्द्र शासन ने वर्ष 2006–07 में कृषि ऋण 7 दर पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए तथा ब्याज दर 9 से 7 प्रतिशत के अंतर की राशि 2 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति केंद्र शासन नाबार्ड के माध्यम से जिला बैंकों को कर रही है।

3 राज्य शासन ने 1 अप्रैल 2007 से किसानों को दिए जाने वाले कृषि ऋण की ब्याज दर को 7 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत कर दिया, तथा इससे बैंकों को होने वाली राशि की प्रतिपूर्ति करने हेतु राशि रू 15 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।

प्रदेश की सहकारी समितियों की अंकेक्षण संबंधी जानकारी

(राशि लाखों में)

क्र	वर्ष	सहकारी संस्थाओं की संख्या	अंकेक्षित संस्थाओं की संख्या	अंकेक्षण हेतु शेष समितियों की संख्या	अंकेक्षण पारित टीप प्राप्त	पारित टीप	शेष टीप	अंकेक्षण शुल्क अंकन	अंकेक्षण शुल्क वसूली	अंकेक्षण हेतु शेष शुल्क
1	**2004-05**	**7253**	**6491**	**762**	**6256**	**5737**	**519**	**473.73**	**366.01**	**107.72**
2	**2005-06**	**7255**	**6577**	**678**	**6294**	**5549**	**745**	**721.21**	**602.1**	**119.11**
3	**2006-07**	**7246**	**6572**	**674**	**6235**	**5350**	**885**	**537.65**	**367.55**	**170.1**

1 प्राथमिक सहकारी संस्थाओं का अंकेक्षण जिला स्तरीय अंकेक्षण बोर्ड के अंकेक्षण अमले के द्वारा संपन्न कराया जााता है।

2 शीर्ष अथवा राज्य स्तरीय सहकारी संस्थाओं का अंकेक्षण विभागीय मुख्यालय द्वारा संपन्न कराया जाता है।

3 अंकेक्षण टीप एवं वित्तीय पत्रक संस्था के वित्तीय वस्तुस्थिति को स्पष्ट प्रदर्शित करता है।

4 संस्था की साख एवं उसकी वित्तीय स्थिति को ठीक बनाये रखने एवं अनियमितताओं को रोकने हेतु आडिट कराये जाने, कार्यवाही की जाती है।

5 जिला स्तरीय समितियों के अंकेक्षण टीप में अंकेक्षक द्वारा ली गई आपत्तियों के पालन प्रतिवेदन/निराकरण जिला स्तरीय कमेटी द्वारा किया जाता है एवं शीर्ष स्तरीय सहकारी संस्थाओं के आपत्तियों का निराकरण मुख्यालय स्तर पर किया जाता है।

6 सोसाइटियों के कार्यशील/कुल व्यवसाय के आधार पर अंकेक्षण शुल्क के रूप में शासन को लगभग 4 करोड़ सालाना प्राप्त होता है।

वैद्यनाथन कमेटी की अनुशंसा

सहकारी साख संरचना के पुनरूज्जीवन हेतु प्रो.ए. वैद्यनाथन कमेटी की अनुशंसा को लागू करने का निर्णय राज्य शासन ने लिया है। बैद्यनाथन कमेटी की अनुशंसा लागू होने पर कृषि ऋण प्रदाय करने वाले सहकारी बैंकों एवं संबद्ध प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं को कृषि ऋण व्यवसाय से हुई हानि को भारत शासन वहन करेगा, तथा अकृषि ऋण व्यवसाय से हुई हानि की 50 प्रतिशत राशि की प्रतिपूर्ति राज्य शासन वहन करेगा। संस्थाओं के कम्प्यूटरीकरण हेतु भारत शासन से आर्थिक पैकेज की व्यवस्था की जावेगी, जिससे संस्थाओं की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी।

बुनकर समितियों की ऋण माफी

शासन ने बुनकर सहकारी समितियों के कालातीत ऋण राशि रू. 11.50 करोड़ को माफ करने का निर्णय लिया गया है, जिसके लिए राशि रू. 7.50 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। शेष राशि रू. 4 करोड़ संबंधित सहकारी बैंकों द्वारा वहन किया जावेगा।

ठाकुर प्यारेलाल सिंह अवार्ड

सहकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति/सहकारी संस्था/सहकारी संस्थाओं के समूह/व्यक्तियों के समूह को प्रत्येक वर्ष पुरस्कृत करने के उद्देश्य से किन्हीं दो को एक–एक लाख का पुरस्कार दिया जाता है। वर्ष 2007–08 हेतु दिए जाने वाले पुरस्कार में संशोधन करते हुए ''एक व्यक्ति या एक संस्था को'' दो लाख का पुरस्कार दिया जावेगा। पूर्व में दिए गए पुरस्कार विजेताओं की जानकारी निम्नानुसार है :–

क्र.	वर्ष	पुरस्कार विजेता
1	2004–05	1. श्री प्रीतपाल सिंह बेलचंदन 2. श्री बृजभूषणलाल देवांगन
2	2005–06	1. श्रीमती सत्यबाला (अध्यक्ष–लक्ष्मी महिला नागरिक सहकारी बैंक रायपुर) 2. विद्युत कर्मचारी थ्रिफ्ट एवं साख सहकारी संस्था मर्या0 बिलासपुर
3	2006–07	प्रगति महिला नागरिक सहकारी बैंक मर्या0 भिलाई, जिला दुर्ग

स्वायत्त सहकारिता अधिनियम 1999

सहकारिता को स्वतंत्रता प्रदान करने हेतु छत्तीसगढ़ स्वायत्त सहकारिता अधिनियम 1999 का गठन किया गया। स्वायत्त सहकारिता का गठन एक स्वशासी संगठन के रूप में किया गया है। इसमें समिति को किसी भी शासकीय सहायता अथवा अनुदान की पात्रता नहीं होगी, इस कारण विभाग का नियंत्रण भी नगण्य होगा।

इस प्रकार स्वायत्त सहकारिता का गठन सहकारिता के क्षेत्र में लोकतांत्रिक व्यवस्था के अधीन सब के लिए एक एवं एक के लिए सब (परोपकार) के सिद्धांत के तहत व्यापक स्वायत्ता प्रदान करते हुए इस स्वायत्त सहकारिता का गठन किया गया। वर्तमान में इस अधिनियम के तहत राज्य स्तरीय 2 एवं जिला स्तरीय 54 संस्थाएं पंजीकृत हैं।

वैधानिक प्रकरणों का निराकरण

सहकारी संस्थाओं में उत्पन्न होने वाले विवाद का निराकरण छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 64 एवं 55 (2) के अंतर्गत जिला स्तर पर पदस्थ उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं द्वारा किया जाता है। उक्त धारा के अंतर्गत पारित किए गए आदेश के विरूद्ध व्यथित पक्षकार धारा 77(1) के तहत प्रथम अपी पंजीयक कार्यालय में पदस्थ संयुक्त पंजीयक के समक्ष एवं धारा 77(1) में पारित आदेश के विरूद्ध धारा 77 (2) अंतर्गत द्वितीय अपील पंजीयक, सहकारी संस्थाएं के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रावधान है। पंजीयक, सहकारी संस्थाएं या उनके द्वारा विनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा धारा 77(2) के तहत निराकृत आदेश के विरूद्ध धारा 77(3) के तहत राज्य शासन को तृतीय अपील प्रस्तुत किए जाने का वैधानिक प्रावधान है।

उपरोक्त धारा 64, 55 (2) एवं 77(2) के अंतर्गत सक्षम अधिकारी द्वारा प्रकरणों में किए गए अंतरित प्रकृति के आदेश के विरूद्ध आदेश दिनांक से 30 दिवस में धारा 78 के तहत पंजीयक, सहकारी संस्थाएं के समक्ष निगरानी प्रकरण दायर किए जाने का प्रावधान है। यथा पंजीयक के द्वारा किए गए अंतरिम आदेश के विरूद्ध राज्य शासन को निगरानी प्रस्तुत किए जाने का प्रावधान है।

विभागीय बजट (आयोजना)

वर्ष 2005–06 में विभिन्न योजनान्तर्गत प्रदाय आबंटन एवं व्यय की जानकारी आयोजना

(राशि हजार रूपयों में)

क्र.	मांग संख्या	योजनाओं की संख्या	प्राप्त आबंटन	व्यय	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
1	17	24	6034.88	2843.53	47.12
2	41	11	262	124.67	47.55
3	64	8	157	39.34	25.06
योग :–			**6453.9**	**3077.29**	**47.68**

वर्ष 2006–07 में विभिन्न योजनान्तर्गत प्रदाय आबंटन एवं व्यय की जानकारी आयोजना

(राशि हजार रूपयों में)

क्र.	मांग संख्या	योजनाओं की संख्या	प्राप्त आबंटन	व्यय	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
1	17	36	8608.42	6205.06	72.08
2	41	10	258.00	194.42	75.36
3	64	7	166.00	109.62	66.04
योग :–			**9032.42**	**6509.64**	**72.06**

वर्ष 2007–08 में विभिन्न योजनान्तर्गत प्रदाय आबंटन एवं व्यय की जानकारी
आयोजना

(राशि हजार रूपयों में)

क्र.	मांग संख्या	योजनाओं की संख्या	प्राप्त आबंटन	व्यय	प्रतिशत
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	17	40	4998.71	605	12.10
2	41	20	4519.90	0	0.00
3	64	9	530.82	0	0.00
योग :–			**10049.43**	**605**	**6.02**

1 मांग संख्या 17 अंतर्गत जिला सहकारी बैंकों/जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों/शक्कर कारखाना/पैम्प्स/लेम्प्स को धनवेष्ठन के लिए ऋण, अनुदान एवं अंशपूंजी दिया जाता है।

2 मांग संख्या 41 अंतर्गत अनुसूचित जनजाति मूलक कार्यों के लिए ऋण, अनुदान एवं अंशपूंजी दिया जाता है तथा गोदाम निर्माण हेतु सहायता।

3 मांग संख्या 64 अंतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के सदस्यों को ऋण, अनुदान एवं अंशक्रय करने हेतु अंशपूंजी ऋण प्रदाय किया जाता है।

विभागीय बजट (आयोजनेत्तर)

वर्ष 2005–06 में प्राप्त आबंटन के विरूद्ध अधिनस्थ कार्यालयों को प्रदाय आबंटन एवं व्यय की जानकारी

मांग संख्या 17–2425 सहकारिता आयोजनेत्तर

(राशि हजार रूपयों में)

क्र.	अधिनस्थ जिला	योजना क्र.	प्राप्त आबंटन	प्रदाय आबंटन	व्यय
1	2	3	4	5	6
1	मुख्यालय (निर्देशन)	2282	13574	12059	12212
2	16 जिले (अधीक्षण)	123	45026	41020	40239
3	16 जिले (आडिट बोर्ड)	359	32660	38052	27133
4	03 जिले (सहकारी समितियों की लेखा परीक्षा)	4433	16753	14508	17228
5	अशाकीय व्यक्तियों के सहकारी शिक्षण के गठन की योजना	303	1650.00	1650	1650
6	कनिष्ठ कर्मचारियों के प्रशिक्षण सहकारी विशेष पाठ्यक्रम की योजना	756	20.00	20	20
7	राज्य सहकारी तथा जिला सहकारी संघ के गठन की योजना	3699	60.00	60	60
8	ठाकुर प्यारेलाल सिंह पुरस्कार	5554	250.00	225	225
	योग :–		109993	107594	98767

वर्ष 2006–07 में प्राप्त आबंटन के विरूद्ध अधिनस्थ कार्यालयों को प्रदाय आबंटन एवं व्यय की जानकारी

मांग संख्या 17–2425 सहकारिता आयोजनेत्तर

(राशि हजार रूपयों में)

क्र.	अधिनस्थ जिला	योजना क्र.	प्राप्त आबंटन	प्रदाय आबंटन	व्यय
1	2	3	4	5	6
1	मुख्यालय (निर्देशन)	2282	15054	15299	14130
2	16 जिले (अधीक्षण)	123	43970	43858	41176
3	16 जिले (आडिट बोर्ड)	359	50823	54804	46760
4	अशाकीय व्यक्तियों के सहकारी शिक्षण के गठन की योजना	303	1650	1650	1650
5	कनिष्ठ कर्मचारियों के प्रशिक्षण सहकारी विशेष पाठ्यक्रम की योजना	756	25	25	25
6	राज्य सहकारी तथा जिला सहकारी संघ के गठन की योजना	3699	65	65	65
7	ठाकुर प्यारेलाल सिंह पुरस्कार	5554	250	125	125
	योग :–		111837	115826	103931

वर्ष 2007–08 में प्राप्त आबंटन के विरूद्ध अधिनस्थ कार्यालयों को प्रदाय आबंटन एवं व्यय की जानकारी माह जुलाई 2007 तक
मांग संख्या 17–2425 सहकारिता आयोजनेत्तर

(राशि हजार रूपयों में)

क्र.	अधिनस्थ जिला	योजना क्र.	प्राप्त आबंटन	प्रदाय आबंटन	व्यय
1	2	3	4	5	6
1	मुख्यालय (निर्देशन)	2282	17922	14637	4449
2	16 जिले (अधीक्षण)	123	55339	45113	15898
3	16 जिले (आडिट बोर्ड)	359	57788	49186	16835
5	यंत्र कृषि कार्यक्रम (ऋण राहत योजना)	3813	1780	1780	1780
6	ठाकुर प्यारेलाल सिंह पुरस्कार	5554	250	0	0
7	राज्य सहकारी संघ को अनुदान	6786	2820	0	0
योग :–			135899	110716	38962

धान उपार्जन

प्रदेश में राज्य सहकारी विपणन संघ को नोडल एजेंसी नियुक्त कर, प्रदेश की सहकारी समितियों के माध्यम धान खरीदी की जाती है, जिसका वर्षवार विवरण निम्नानुसार है –

क्र	वर्ष	मात्रा (लाख मे0टन)	राशि (करोड़)
1	2004–05	28.76	1647.40
2	2005–06	35.96	2107.65
3	2006–07	35.61	2285.73

राज्य में प्रथम बार रबी सीजन धान उपार्जन का निर्णय लिया जाकर कुल 1.53 लाख मे0टन राशि रू. 99.18 करोड़ का धान उपार्जन किया गया है।

वर्ष 2007–08 में उपार्जन केंद्रों का पूर्ण रूपेण कम्प्यूटरीकरण कराया गया है।

रासायनिक खाद

प्रदेश में सहकारी संस्थाओं के माध्यम से कृषकों को किए गए रासायनिक खाद के वितरण का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है :–

1	वर्ष 2004–05	305680 मे. टन
2	वर्ष 2005–06	332152 मे. टन
3	वर्ष 2006–07	425511 मे. टन
4	वर्ष 2007–08	386659 मे. टन (22.11.07 तक)

प्रदेश के सहकारी शक्कर कारखानें

☞ भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना मर्या0 कवर्धा –

1 कारखाना 49 करोड़ की लागत से निर्मित एवं 2500 टी0सी0डी0 क्षमता के इस कारखाने में वर्ष 2002–03 से उत्पादन कार्य प्रारंभ है। वर्ष वार विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र	विवरण	2004–05	2005–06	2006–07
1	गन्ना उत्पादन (टन)	273300	402200	616000
2	गन्ना खरीदी (टन)	102455	185091	370996
3	गन्ना पेराई (टन)	102455	185091	310111
4	शक्कर उत्पादन (क्विंटल में)	104690	179539	237012

2 2006–07 में गन्ने के विपुल उत्पादन को देखते हुए, कारखाने की क्षमता से अधिक गन्ना किसानों के हित में 3,70,966 मे0टन क्रय किया गया है। जिसके लिए शासन द्वारा 12.25 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया गया है।

3 वृहद गन्ना उत्पादन को देखते हुए, कारखाना विस्तारीकरण हेतु लगभग राशि रू. 24.00 करोड़ का प्रस्ताव है, जिसके विरूद्ध शासन से राशि रू. 6.05 करोड़ विमुक्त कर दी गई है।

☞ दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना मर्या. बालोद–

कारखाने की अनुमानित लागत लगभग राशि रू. 30 करोड़ है, जिसके विरूद्ध अब तक शासन अंशपूंजी के रूप में राशि रू. 13.50 करोड़, ऋण के रूप में राशि रू. 5.00 करोड़ तथा राशि रू. 14 लाख का अंशपूंजी के रूप में अनुदान दिया गया है। निर्माण कार्य जारी है।

☞ मॉ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना मर्या0 अंबिकापुर –

पंजीकृत किया गया है, जिसकी अनुमानित लागत लगभग रू. 99 करोड़, प्रस्तावित है, जिसके विरूद्ध शासन ने रू. 5 करोड़ का बजट प्रावधान किया है।